फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी :—श्री मोहनलाल बनाम विपक्षी :— श्री लालुराम

स्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि. पत्रावली संख्या : 03/23

तांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 10.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 मय विपक्षी संख्या 1, 2, 5, 6, 7 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2, 5, 6, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 4/1, 4/2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व उसकी बहने श्रीमती केसी बाई, धापुबाई, बावरीबाई, बरजुबाई के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। बहने सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4 से 7 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार शेष विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहते है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या नया 1345 की आराजी न. 912, 913, 923, 924, 927, 928, 929, 941, 956, 957, 958 किता 11 रकबा 0.8800 है. भूमि, खाता संख्या नया 1346 की आराजी संख्या 950, 959, 960 किता 3 रकबा 1.1100 है. भूमि, खाता संख्या नया 1347 की आराजी न. 909, 910, 937, 938, 939 किता 5 रकबा 0.5200 है. भूमि व खाता संख्या नया 1349 की आराजी संख्या 926, 930, 934, 951, 955 किता 5 रकबा 0.9300 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:50 IST
Reason: SelfAttested